

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

संचिका सं०-8B/विविध-अरा०-आ०-नि०-07/2023.....33

पटना, दिनांक 03.01.25

श्री अमित कुमार, तत्कालीन प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली द्वारा दस्तावेज सं०-7538/2021 एवं 7544/2021 के स्थल निरीक्षण के उपरांत समर्पित किये गये प्रतिवेदन के आधार पर निबंधित दस्तावेज में राजस्व क्षति के मामले में गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-2825 दिनांक-31.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

2. संचालन पदाधिकारी सह सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-30 दिनांक-27.01.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निष्कर्षित किया गया है कि प्रश्नगत दोनों दस्तावेजों द्वारा अंतरित 25 भूखण्डों में से पक्षकार द्वारा दिखाए गए स्थल का निरीक्षण आरोपी कर्मों द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि जिला अवर निबंधक, सारण, छपरा के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। इसकी सम्पुष्टि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की गवाही से भी प्रमाणित होता है।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्र सं०-3354 दिनांक-19.08.2024 द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज में हुई राजस्व क्षति से संबंधित प्रतिवेदन की मांग सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से की गई। उनके द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन में राजस्व क्षति के संबंध में कोई विरोधाभास परिलक्षित नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से सहमत है।

4. श्री अमित कुमार, तत्कालीन प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली के विरुद्ध गठित आरोप पत्र एवं संचालन पदाधिकारी सह सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा अप्रमाणित आरोप के आलोक में सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री अमित कुमार, तत्कालीन प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली को आरोप से मुक्त करते हुए अपने कार्यों के प्रति सजग रहने का निदेश दिया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ० संजय कुमार)

उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 8B/विविध-अरा०-आ०-नि०-07/2023.....33

पटना, दिनांक:- 03.01.25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्ता सह जिला निबंधक, सारण एवं वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, सारण एवं वैशाली/जिला अवर निबंधक, सारण एवं वैशाली/श्री अमित कुमार, तत्कालीन प्रधान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, सारण, छपरा सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।